न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 472/2017 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S. no. 2017/00502)

डौंगरसिंह पुत्र श्री खुमानसिंह जाति ठाकुर निवासी गोपालपुरा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर। ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर। ....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 3.7.2017 अनुज्ञा –पत्र संख्या 16/1981

उपस्थितिः–

1. श्री मुरारीलाल तिवारी वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 03.04.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 3.7.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत कराने हेतु दिनांक 19.12.2016 को अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने रिपोर्ट कमांक ह–1 ( ) धौल0/ आर्म्स/ 2016/ 197 दिनांक 6.1.2017 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट/शस्त्रअनुज्ञाधारी के विरूद्ध थाना हाजा में मु0नं0 52/03 धारा 323, 341, 336, 34 भा0द0सं0 चार्जशीट नम्बर 64/30.8.2003 पंजीबद्ध है जिसमें फैसला सजा दिनांक 4.3.2006 न्यायालय एम0जे0एम0 साहब राजाखेडा से हो चुका है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि होने एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने के कारण अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई। तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 16/1981 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है । अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था और आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलान्ट ने नियमानुसार दिनांक 19.12.2016 को प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। तहत अदालत यदि अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं समझती तो उसका नवीनीकरण नहीं करती परन्तु अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया जाना चाहिऐ था। इसके अलावा तहत अदालत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर नहीं किया कि दिनांक 31.12.2016 से पूर्व भी सन् 2010, 2007, 2013 में भी नवीनीकरण के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी और उसके बाद रिपोर्ट से सन्तुष्ठ होने पर तहत अदालत द्वारा लाईसेंस नवीनीकृत किया गया था तथा जिस मुकदमा संख्या 52/2003 चार्जशीट नम्बर 64/2003 का हवाला दिया गया है वह सन 2007 से 2016 तक भी थी और इस एफ0आई0आर0 के प्रकरण में दिनांक 4.3.2006 को राजीनामा हो गया था तथा उस मुकदमें में अनुज्ञापत्र संख्या 16/1981 बन्दुक का न तो कोई प्रयोग हुआ था और न आर्म्स एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज था तब 2003 से अब तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा किसी प्रकार का दर्ज नहीं हुआ । पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जिस मुकदमें का जिक्र किया है उसमें भी राजीनामा हो चुका है और मात्र धारा 336 भा0द0सं0 50/— रूपये जुर्माना हुआ था । इसके अलावा इस रिपोर्ट में स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक ने यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा शस्त्र का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया है, आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामान्य रही है, अपीलान्ट का चाल चलन भी अच्छा बताया है, लेकिन फिर भी एक पुराने निर्णितशुदा प्रकरण को आधार बना कर नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की गईहै जो कतई उचित नहीं है । तहत अदालत को इस आधार पर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं करना चाहिऐ था। अनुज्ञापत्र अपीलान्ट ने अपने शरीर व सम्पत्ति की रक्षा के लिये लिया है उसका कोई दुरूपयोग नहीं किया कोई लोकशांति व कानून व्यवस्था भंग नहीं की तथा अपीलान्ट ने सही शपथ पत्र दिया था कि उसके विरूद्ध सन 2007 से अब तक कोई अभियोग दर्ज नहीं है तब तथ्यों को छिपाने की कोई बात नहीं रह जाती है तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की गलत रिपोर्ट पर भरोसा करके भारी भूल की है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2016(2) डब्लू एल सी (राज0) यू0सी0 197 , 2013 (2) डब्लू एल सी (राज0) 393, 2016 (3) सीआर.एल.आर.(राज0) 1292 की प्रतियां पेश की गई। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश की नकल अपीलान्ट को दिनांक 17.9.2017 को प्राप्त हुई इसलिऐ धारा 18(2) आर्म्स एक्ट के तहत अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है जिसमें अपीलान्ट की जानिव से देरीना या लापरवाही नहीं है इसलिऐ देरीना को क्षमा किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। जिसके लिये पृथक से धारा—5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 को अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने की कार्यवाही के दौरान जब जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई तो उनकी रिपोर्ट क्रमांक क्रमांक ह–1 ( ) धौल0/ आर्म्स/ 2016/197 दिनांक 6.1.2017 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट/शस्त्रअनुज्ञाधारी के विरूद्ध थाना हाजा में मु0नं0 52/03 धारा 323, 341, 336, 34 भा0द0सं0 चार्जशीट नम्बर 64/30.8.2003 पंजीबद्ध है जिसमें फैसला सजा दिनांक 4.3.2006 न्यायालय एम0जे0एम0 साहब राजाखेडा से हो चुका है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि होने एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने के कारण अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई। उक्त मुकदमें का भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कोई हवाला नहीं दिया गया। संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 6.1.2017 से अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र नवीनकरण किये जाने के लिये साफ इन्कार किया है। रिपोर्ट में अंकित अपीलान्ट के खिलाफ दायर/निर्णित मुकदमें एवं अपीलान्ट की संदिग्ध स्थिति तथा अपीलान्ट के द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना एवं लोक शान्ति बनाये रखने के मध्यनजर नियमानुसार आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। दौराने तहत अदालत कार्यवाही अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी दिया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.7.2017 न्यायिक परिपेक्ष्य में है । अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits

of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि शस्त्र अनुज्ञापत्र नियममित नवीनीकरण होता रहा है तथा दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। आगामी अवधि के लिये दौराने नवीनीकरण कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से तहत अदालत के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि शस्त्रधारक के विरूद्ध थाना हाजा में मु0नं0 52/03 धारा 323, 341,336,34 भा0द0सं0 चार्जशीट नं0 64/30.8.2003 पंजीबद्व है जिसमें फैसला सजा दिनांक 4.3.2006 न्यायालय एमजेएम साहब राजाखेडा से हो चुका है। तहत अदालत ने इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को आपराधिक पृष्ठभूमि का मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जाना प्रतीत होता है। तहत रिकार्ड में संलग्न माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 साहब राजाखेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.3.2006 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण को राजीनामा के बिनाय पर बरी किया गया है तथा धारा 336 भा0द0सं के अपराध के संदर्भ में 50 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक सक्षम अदालत किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध में स्पष्ट दोष सिद्धी /सजा का निर्णय पारित नहीं कर दे किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता । इस प्रकरण में अपीलान्ट के खिलाफ दायर मुकदमें को सक्षम अदालत द्वारा राजीनामा के आधार पर निर्णित किया गया है जो न्यायिक प्रावधानों के अंतर्गत मान्य रहता है। सहायक लोक अभियोजक का यह तर्क कि अपीलान्ट का चरित्र संदिग्ध है प्रमाणित नहीं रहता है क्यों कि सहायक लोक अभियोजक की ओर से अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उपरोक्त एक मात्र प्रकरण जो सक्षम अदालत द्वारा दिनांक 4.3.2006 को निर्णित भी किया जा चुका है के अलावा अन्य कोई मुकदमा अपीलान्ट पर विचाराधीन था या वर्तमान में विचाराधीन है इस प्रकार वर्ष 2006 के निर्णित प्रकरण को वर्ष 2017 में आधार बनाया जाकर देखे जाने का कोई औचित्य नहीं है । न्यायिक मंशा के मध्यनजर अनुज्ञापन अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वे दौराने जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र वे तमाम पूर्तियां जो आयुध अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के अनुरूप है को भलीभांति पूर्ण कर बाद सन्तुष्टी शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करेगें और नवीनीकरण करेंगे चूंकि अपीलान्ट का निरन्तर अनुज्ञापत्र नवीनकृत होता रहा है और दौराने नवीनीकृत नियमानुसार तमाम पूर्तियां भी की जाती रही है ऐसी स्थिति में वर्ष

Web Copy - Not Official

2006 के निर्णितशुदा प्रकरण को आधार बनाया जाकर अचानक अपीलान्ट का चरित्र पर बिना किसी ठोस आधार के प्रश्नचिन्ह लगाया जाना उचित नहीं रहता है। यह सही है कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकरण में न तो अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि की निरन्तरता रही है न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा उसके खिलाफ जघन्य अपराध को सिद्ध करते हुये उसे सजा से दण्डित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में जिस मुकदमें को आधार बनाया गया है उसमें सक्षम अदालत द्वारा अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके अलावा स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 6.1.2017 में अंकित बिन्दु संख्या 1, 2, 3 अपीलान्ट के पाक–साफ नेक चलनी की ताईद करते है बाबजूद इसके अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत आपीलान्ट के चरित्र को संदिग्ध माना है ऐसी स्थिति में चूकिं अनुज्ञापन अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी भी है और उन पर जिले की शान्ति व्यवस्था कायम रखने का पूर्ण रूपेण दायित्व रहता है लिहाजा अपने कथनों की ताईद/पुष्टि में यह प्रकरण पुनः जांच उपरान्त विचारणीय रहता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 3.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official